वेबसाईट शाखा

झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग-5

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, शुक्रवार दिनांक 14 फाल्गुन, 1937 (श०) / 04 मार्च 2016 (ई०) को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र० सं०	विभागों को भेजी गई सां०सं०	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2	3.	4.	5.	6.
121-	अ०सू०-33	श्री कुणाल षड़ंगी	स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाना।	स्वा०चि०शि० एवं परि०क० विभाग	27.02.16
122-	अ०सू०-21	श्री अमित कुमार	भूमि नीति बनाना	राजस्व नि० एवं भूमि सु० विभाग	26.02.16
123-	अ०सू०-11	श्री शिवशंकर उराँव	सहयोग करना	स्वा०चि०शि० एवं परि० क० विभाग	17.02.16
124-	अ०सू०-18	श्री नलिन सोरेन	दोषी पदा० पर कार्रवाई।	स्वा०चि०शि० एवं परि० क० विभाग	27.02.16
125-	अ०सू०-15	श्री प्रदीप यादव	नियुक्ति पत्र देना	श्रम नि० प्र०एवं कौशल विकास विभाग	22.02.16
126-	अ०सू०-16	श्री अरूप चटर्जी	भूमि को वापस करना।	राजस्व नि०एवं भूमि सुधार विभाग	22.02.16
127-	अ०सू०-34	श्रीमती निर्मला देवी	उचित मुआवजा, नौकरी एवं पुनर्वास करना।	राजस्व नि० एवं भूमि सुधार विभाग	27.02.16

अ०४५०

क्र०पृ०उ०-

128-	अ0सू0-22	श्री नारायण दास	नियुक्ति करना	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0 विभाग	26.02.16
129-	अ0सू0-24	श्री अमित कुमार	खतियान प्रदान करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	26.02.16
130-	अ0सू0-29	श्री सुखदेव भगत	नियुक्ति करना	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0 विभाग	27.02.16
131-	अ0सू0-23	श्री प्रकाश राम	विज्ञापन प्रकाशित करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0 विभाग	26.02.16
132-	अ0सू0-35	श्री अशोक कुमार	असाध्य रोग की श्रेणी में रखना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0 विभाग	29.02.16
133-	अ0सू0-14	श्री फूलचन्द मंडल	पदों का सृजन वेतनमान एवं प्रोन्नति देना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0 विभाग	22.02.16
134-	अ0सू0-19	श्री आलमगीर आलम	उम्रसीमा में छुट देना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0 विभाग।	26.02.16
135-	अ0सू0-28	श्री राधाकृष्ण किशोर	नियुक्ति करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0 विभाग	27.02.16

राँची।
दिनांक- 04.03.2016 (ई0)

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-07/2015.....1915...../वि0स0, राँची, दिनांक- 02/03/16

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/ मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 2/3/16

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-07/2015.....1915...../वि0स0, राँची, दिनांक- 02/03/16

प्रति :- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 2/3/16

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-07/2015.....1915...../वि0स0, राँची, दिनांक- 02/03/16

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ बेवसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 2/3/16

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

3/3

121

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.03.16 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्र0सं0–33 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि बी0पी0एल0 परिवार के मरीजों का स्वास्थ्य बीमा योजना को श्रम विभाग से स्वास्थ्य विभाग में हस्तांतरित किया गया है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि आज तक एक भी बी0पी0एल0 परिवार का स्वाास्थ्य बीमा योजना कार्ड का नवीकरण नहीं हुआ है,		स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है ;		स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बी0पी0एल0 परिवार के स्वाास्थ्य बीमा योजना का नवीकरण करने के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		बी0पी0एल0 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राज्य के सरकारी कर्मचारियों को योजना पर कार्रवाई किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वयन कर लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 62/16– 275(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 02.03.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1679/वि0स0, दिनांक 27.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2016
उप सचिव ।

/ 22

श्री अमित कुमार, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–04.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–21 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री अमित कुमार, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि बंगाल, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में राज्य की अपनी भूमि नीति है परन्तु झारखण्ड राज्य के सामान्य भूमि के संबंध में अपनी कोई भूमि नीति नहीं है;		अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति है कि झारखण्ड राज्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम सहित भूमि सुधार के कानून लागू है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अपनी भूमि नहीं रहने के कारण राज्य में भूमि विवाद बढ़ता ही जा रहा है;		अस्वीकारात्मक । झारखण्ड राज्य में भूमि से संबंधित नियम लागू है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित राज्यों की तरह सामान्य जाति की भूमि के संबंध में अपनी भूमि नीति बनाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		झारखण्ड अनुसूचित जनजातियों तथा वनों से आच्छादित प्रदेश है। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं उनकी भूमि की सुरक्षार्थ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जैसे कानून लागू हैं। सामान्य जातियों के भूमि से संबंधित विषय भी उपरोक्त कानूनों के अंतर्गत आच्छादित हैं।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–5 / स.भू. (वि.स.अ0सू0.)–44 / 2016.....862 / रा., राँची, दिनांक–...03-03-16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–1649 / वि.स., दिनांक– 26.02.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची /सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

123

श्री शिव शंकर उराँव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 04-03-2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ0स0 11 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री शिव शंकर उराँव, स०वि०स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के तहत 250 आयुष चिकित्सकों/कर्मियों की नियुक्ति संबंधी अनियमितता की जाँच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित पत्रों का जवाब विभाग नहीं दे रहा है ;	अस्वीकारात्मक। विभाग में निगरानी ब्यूरो का पत्रांक 3821 दि0 01.08.09, पत्रांक 5217 दि0 03.10.09, पत्रांक शून्य दि0 08.05.12, पत्रांक 3209 दि0 22.05.12, पत्रांक शून्य दि0 06.07.12, पत्रांक शून्य दि0 07.11.12, पत्रांक 8483 दि0 21.12.12, पत्रांक 250 दि0 10.01.13, पत्रांक 2156 दि0 28.02.13, पत्रांक 9387 दि0 28.08.14, पत्रांक 352 दि0 19.01.15, पत्रांक 773 दि0 30.01.15, पत्रांक 1749 दि0 02.03.15, एवं पत्रांक 7944 दि0 04.08.15 प्राप्त हुआ है। जिसके प्रसंग में जवाब पत्रांक 495(3) दि0 21.12.09, पत्रांक 458(3) दि0 20.11.09, पत्रांक 89(20) दि0 19.05.12, पत्रांक 271/आयुष दि0 23.07.12, पत्रांक 318(20) दि0 19.12.12, पत्रांक 60(19) दि0 17.09.14, पत्रांक 21(19) दि0 24.02.15, पत्रांक 40(19) दि0 09.05.15, पत्रांक 98(19) दि0 14.09.15 एवं 398/आयुष दि0 09.11.15 द्वारा दिया गया है।
2-	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचिका उपलब्ध नहीं कराए जाने और सहयोग नहीं करने के कारण मामले की जाँच प्रभावित हो रही है ;	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस दिशा में त्वरित व कोई ठोस कदम उठाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपर्युक्त कंडिकाओं मे स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 19/आरोप (वि0स0)–01/2016 20(19) राँची, दिनांक– 03/03/2016

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 1101 दिनांक– 17-02-16 के प्रसंग में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/2016
सरकार के अवर सचिव

Tiwari

124

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.3.16 को सदन में पूछा जाने वाला अ0सू0 प्र0 सं0– 18 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक में अध्ययनरत्त एडोलसेंट गर्ल्स के निशुल्क सेनेटरी नैपकोन वितरण की योजना तैयार की गई थी;		स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि इसके लिए स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है लेकिन 10 माह वितने के बाद भी अभी कागजी कार्रवाई चल रही है;		आंशिक स्वीकारात्मक। सैनिटरी नैपकिन कय हेतु तीन कम्पनियों को DGS&D दर पर कार्यादेश दिया गया है । मार्च 16 के अन्त में नैपकिन वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
3. क्या यह बात सही है कि नैपकोन खरीद के लिए टेंडर निकाला गया फिर रदद् कर दिया गया अब उपरोक्त राशि को सरकारी खाते में जमा करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि निविदा रद्द करने के उपरान्त झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट एण्ड प्राक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम सें नैपकीन कय करने का निर्णय लिया गया है। राशि की निकासी कर कॉरपोरशन के पी0आई0एल0 खाता में जमा कर दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजना को लागू नही करने बाले के विरूद्व निगरानी से जॉच करवाकर दोषियों को दंडित करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपरोक्त कंडिकाओं में स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 63/16– 276 (6) स्वा0, राँची, दिनांकः 02.03.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 1681/वि0स0, दिनांक 27.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2016

उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

125

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–04.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0स0–15 का निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण(प्रशिक्षण पक्ष) का उत्तर सामग्री –

क0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि ITI में व्यवसायिक अनुदेशक के कुल 504 पदों पर नियुक्ति हेतु 2009 में JCECE बोर्ड द्वारा विज्ञापन एवं अक्टूबर 2010 में परीक्षाफल प्रकाशित हुआ था;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि परीक्षा में 504 सफल अभ्यर्थियों के विरूद्ध मात्र 262 लोगों का ही योगदान 2014 में ही स्वीकृत किया गया वहीं शेष को अपर्याप्त प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति लंबित रखा गया;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि शेष बचे सफल अभ्यर्थियों में से 41 अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक अर्हताएँ पुरी करने के बावजूद भी विभाग द्वारा 5 वर्षो के बाद भी अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सारी अर्हता पूरी करने वाले 41 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का विचार करती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्मिक प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–11243 दिनांक–06.12.1995 के अनुसार पैनल एक वर्ष तक मान्य होने का प्रावधान है। जिसके संबंध में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई किया जायेगा।

29/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–21/2016– 332 रॉची, दिनांक :– 29-2-16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–1379 दिनाक–22.02.2016 के प्रसंग में 200 चकचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/02/2016

सरकार के उप सचिव,

126

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– अ0सू0– 16 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न		उत्तर
श्री अरूप चटर्जी, माननीय स.वि.स.		**माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में CNTA, SPTA, WILKINSON RULE, संबिधान प्रदत्त 5th Sehedule के प्रावधानों का होते हुये भी अनु0 क्षेत्रों के बहुत बड़ा भू–भाग को 1894 की LA Act के तहत अधिग्रहण किया गया है,		जनहित में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रैयतों को उचित मुआवजा का भुगतान कर भू–अर्जन अधिनियम, 1894 में भू–अर्जन का प्रावधान है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अधिनियम की दुरूपयोग से अब तक 28 लाख आदिवासी एवं स्थानीय किसान विस्थापित एवं प्रभावित हुये तथा अनु0 क्षेत्रों के 1 लाख हेक्टेयर भूमि जरूरत से ज्यादा अधिग्रहित किया गया है,		आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित LA Act को वर्ष 2013 में समाप्त कर LA ARA-2013 देश भर में लागु की गई है जिसके धारा 24 (2) में ऐसे अतिरिक्त अधिगृहित भूमि को विस्थापित रैयतों को वापस करने का प्रावधान है,		दिनांक–01.01.2014 के प्रभाव से भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 देशभर में (जम्मू–कश्मीर छोड़कर) लागू किया गया है। जिसके धारा–24 (2) में प्रावधान है कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के किसी मामले में, जहां धारा 11 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पांच वर्ष या उससे अधिक पूर्व अधिनिर्णय किया है किंतु भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि यह व्ययगत हो गई हैं और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा चुनाव करे, इस अधिनियम के उपबंधों के

	अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियां नए सिरे से आरंभ करेगी। भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा–101 के अनुसार अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित रह जाती है तो उसे यथास्थिति भू–स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या सरकार के भूमि बैंक में वापस करने हेतु प्रावधान किया गया है। जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा गठित भू–अर्जन नियमावली, 2015 के नियम–37 में अतिरिक्त भूमि को भूमि बैंक में वापस करने का प्रावधान किया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–3 में वर्णित LA ARA-2013 के धारा 24 (2) के तहत पुराने विस्थापित रैयतो की भूमि को वापस करने का विचार करती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–08बी./भू.अ.नि.वि.स. (अ.सू.)–40/16 151 (08बी.)/रा., दिनांक– 02-03-16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1378/वि.स., दिनांक–22.02.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/3/16

सरकार के अवर सचिव।

127

श्रीमती निर्मला देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–34 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्रीमती निर्मला देवी, माननीया स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत पतरातू प्रखण्ड में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पी0टी0पी0एस0) के छाइ डैम नं0–1 के लिए वर्ष 1972–73 में ग्राम–बलकुदरा का 192 एकड़ एल0ए0 केश नं0–84/72–73, ग्राम–रसदा का 147 एकड़ एल0ए0 केश नं0–87/72–73 के तहत् कुल 432 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा करने में 20 वर्ष से अधिक समय लगाया गया, जमीन का मुआवजा का दर 1972 के पूर्व का रजिस्ट्री दर लिया गया, जिसके चलते कौड़ी के भाव में मुआवजा रू0 5/–06/– रू0 08/– प्रति डिसमील के दर पर तय किया गया। जिसका रैयत विरोध किए और उचित दर पर मुआवजा नौकरी एवं पूनर्वास की सुविधा का माँग करते हुए आज तक मुआवजा ग्रामीण नहीं लिए, मुआवजा की राशि ट्रेजरी में जमा करा दिया गया;		आंशिक स्वीकारात्मक। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा अधिग्रहित भूमि पर भौतिक रूप से दिनांक–16.04.95 को दखल दिलाया गया था। महाप्रबंधक, पी0टी0पी0एस0, पतरातू, रामगढ़ के कार्यालय आदेश संख्या–7898, दिनांक–15.12.1977 के द्वारा 242 विस्थापितों को नौकरी दी गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) मे वर्णित तीनों गाँवों के रैयत आज तक उस जमीन में खेती कर अपना भरण पोषण कर जीविकोपार्जन कर रहें है। अब पी0टी0पी0 एस0 उस जमीन को एन0टी0पी0सी0 को सौंपने की तैयारी कर रही है;		पी0टी0पी0एस0 प्रबंधन द्वारा वर्तमान समय में सीमांकन का कार्य किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एन0टी0पी0सी0 से भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013 के तहत् रैयतों को उचित मुआवजा, नौकरी एवं पुनर्वास देन का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?		उपर्युक्त कण्डिका 2 एव 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–8बी0/भू0अ0नि0वि0स0 (अ0सू0) –45/16 159 (8बी0)/रा0 दिनांक– 03-03-16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक –1682/वि0स0, दिनांक–27.02.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16

सरकार के अवर सचिव

128

श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.03.16 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0 22 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ताः– श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाताः– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि रिम्स में मरीज हेतु बेड के अनुपात में मरीजों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण दूर–दराज से आनेवाले मरीजों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक। रिम्स में मरीजों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कुछ विभागों में मरीजों की संख्या बेड के अनुपात में अधिक होने पर मरीजों को फर्श पर मेट्रेस, चादर इत्यादि दे कर ईलाज किया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्यन्तर्गत सभी सदर अस्पताल, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, उप केन्द्र, प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल, अनुमण्डल स्तरीय अस्पताल में A.N.M एवं G.N.M. का यूनिट के आधार पर नियुक्ति नहीं होने कारण महिला मरीज को कठिनाईयां होती है ;	अस्वीकारात्मक। राज्य में नियमित एवं अनुबंध पर कुल 8224 ए0एन0एम0 एवं 860 जी0एन0एम0 विभिन्न स्तरों के स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत है। कार्यरत ए0एन0एम0 की संख्या भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (IPHS) के अनुसार पूर्व से कार्यरत स्वास्थ्य केन्द्रों के अनुरूप है। परन्तु जी0एन0एम0 की संख्या लोक स्वास्थ्य मानक के अनुरूप नहीं है। जिसके आलोक में विभिन्न स्तर पर जी0एन0एम0 के नियुक्ति हेतु पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3. यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिम्स में मरीज हेतु बेड की पूर्ण व्यवस्था के साथ–साथ राज्यन्तर्गत सभी स्वास्थ्य केन्दों में A.N.M एवं G.N.M. का यूनिट के आधार पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रिम्स में 100 बेड के Paying Ward, Regional Opthelmology Institute, Trauma Center, नये प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन है। यह पूर्ण हो जाने पर रिम्स के कुछ विभागों को समीक्षोपरान्त पुनर्गठित किया जायेगा जिससे मरीजों के लिए शैय्या की समुचित व्यवस्था की जायेगी। भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (IPHS) के अनुसार अन्य अतिरिक्त पदों के स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–11/ रिम्स (वि0स0)–05–04/2016 – 53 (11) स्वा0/राँची/दिनांकः–02/03/2016
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप्र सं0 1638 दिनांक 26.02.16 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–24 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स०द्वारा दिनांक–04.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–24 का प्रश्नोत्तर।	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सूधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि *Rs* सर्वे 1905 एवं 1927 में शुरू होकर क्रमशः 1908 एवं 1932–33 में फाईनल हुआ था,	वर्णित अवधि में कैडस्ट्रल सर्वे *(CS)* का कार्य आरम्भ कर भू–सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हुआ था।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड क्षेत्र का भू–सर्वेक्षण 1977–78 में शुरू हुआ परन्तु यह आज भी पूर्ण नहीं हो पाया है,	राज्य के जमशेदपुर बंदोबस्त कार्यालय के अन्तर्गत पड़ने वाले जिला–प०सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला में रिसर्वे का कार्य वर्ष 1965–66 में पूर्ण हो चुका है। राज्य के शेष बंदोबस्त कार्यालय में भी रिसर्वे का कार्य चल रहें है एवं अधिसूचना प्रकाशित किये जा रहें है।
3	क्या यह बात सही है कि *Rs* सर्वे प्रत्येक 50 वर्ष में धारा 87 के तहत् किया जाता है परन्तु राज्य सरकार द्वारा धारा 87 को बन्द करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन 24 जून 2015 को प्रकाशित किया गया है,	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धारा 87 लागू कर राज्य में 1977–78 में शुरू हुए भू–सर्वेक्षण के आधार फाईनल खतियान प्रदान करना चाहती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रिसर्वे का कार्य सभी जिलों में पूर्ण करते हुए रैयत को खतियान उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः–02/भू०अ०परि०निदे०–(वि०स०)अल्प सूचित–18/2016– 117/वि० दिनांक–02-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1650 वि0स0, दिनांक–26.02.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/3/2016

सरकार के उप सचिव।

130

श्री सुखदेव भगत, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 04.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–29 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों के विभिन्न स्तर पर 11 हजार 4 सौ 87 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 4 हजार 3 सौ 48 पद रिक्त पड़े हैं ;	अस्वीकारात्मक। राज्य में विभिन्न कोटि के स्वास्थ्य कर्मियों के 27180 स्वीकृत पद के विरूद्ध वर्तमान में 10538 पद रिक्त हैं।
3.	यदि उपुर्यक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रिक्त पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नियुक्ति हेतु नियमावली का होना आवश्यक है सम्प्रति परिचारिका श्रेणी 'ए', प्रयोगशाला प्रावैद्यिक, फार्मासिस्ट की नियमावली गठित है जिसमें संशोधन प्रक्रियाधीन है। शेष पदों के नियमावली गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नियमावली गठित होते ही रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 21/वि0 स0–06–29/2016 -64(वि) रॉंची, दिनांकः 02-03-16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञाप सं0 1678/वि0स0 दिनांक 27.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.16

सरकार के विशेष सचिव

131

श्री प्रकाश राम, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 04.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या स–23 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि JSSC द्वारा विज्ञापन संख्या 10/2015 एवं 11/2015 द्वारा पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली हेतु प्रकाशित विज्ञापन को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश पर दिनांक 28.12.2015 के प्रभाव से रद्द कर दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक। आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को तत्काल स्थगित करने हेतु स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक 10/पारा/मेडिकल–07–01/2015– 77 (23) दिनांक 18.01.2016 द्वारा कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि पारा मेडिकल संघ एवं प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के बीच बनी सहमति में कार्यरत कर्मियों को उम्र सीमा छूट एवं बहाली में प्राथमिकता देने पर सहमति बनी थी,	अस्वीकारात्मक। योग्य एन0एच0एम0 (National Health Mission) अनुबंध कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संबंधित पदों पर नियुक्तियाँ में प्राथमिकता (Weightage) देने संबंधित नीतिगत निर्णय लिया गया है। उम्र सीमा में छूट के संबंध में नियमावली में प्रावधान करने का कोई विचार नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सहमति पत्र के अनुसार पुनः संशोधित नियमावली एवं विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त सहमतिनुसार विज्ञापन प्रकाशित करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नियुक्ति नियमावली में संशोधन प्रक्रियाधीन है। संशोधित नियमावली के आलोक में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 21/वि0 स0–06–31/2016 66(21) राँची, दिनांक: 02-03-16

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1639/वि0स0 दिनांक 26.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.16

सरकार के विशेष सचिव

132

श्री अशोक कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.03.16 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0 35 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ताः– श्री अशोक कुमार, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाताः– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र सं0–354 (10) दिनांक 15.09.2006 की कंडिका आठ में हृदय रोग, कैंसर एवं आकस्मिक दुर्घटना से संबंधित रोगों को असाध्य रोग की श्रेणी में शामिल किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं0–184 (13) दिनांक 17.07.15 द्वारा हृदय रोग एवं कैंसर को असाध्य रोग की श्रेणी में शामिल किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि अस्थमा के अटैक जैसे रोग से वर्ष, 2014–2015 में 978 लोगों की मौत पूरे झारखण्ड में हो गई है ;	इस तरह का कोई डाटा विभाग में उपलब्ध नहीं है।
3. क्या यह बात सही है कि अस्थमा के अटैक जैसे रोगों को असाध्य रोग की श्रेणी में रखा जाना आवश्यक है ;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अस्थमा जैसे घातक रोग के लिए राज्य के सभी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा बहाल करने के साथ–साथ अस्थमा के अटैक को असाध्य रोगों की श्रेणी में शामिल करने का सरकार विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई हैं

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–13/ वि0स0–09–05/2016 – 56 (13) स्वा0/राँची/दिनांकः– 3-3-16
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0–1747 दिनांक 29.02.16 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

2-3.16

सरकार के अवर सचिव।

133

श्री फूलचन्द मण्डल, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 04.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना संख्या सा0/पारा मेडि0–07/06/2012–182 (10) दिनांक 06.07.2013 द्वारा आथ्थल्मिक सहायक सेवा संवर्ग नियमावली–2013 निर्गत एवं गजट में प्रकाशित है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नियमावली के अनुरूप पदों का श्रृजन एवं वेतनमान निर्धारण नहीं होने के कारण नेत्र सहायकों की प्रोन्नति 30 वर्षों से लंबित है। जबकि प्रोन्नति हेतु संगठन द्वारा दिनांक 16.07.13 एवं 10.11.15 को आवेदन विभाग को सौंपा गया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नियमावली के अनुरूप पदों का श्रृजन एवं वेतनमान निर्धारित करते हुए नेत्र सहायकों को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पद सृजन, संरचना, दायित्व एवं वेतन निर्धारण के लिए निदेशालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। पद सोपान के पद सृजन एवं चिन्हित करने के उपरान्त नियमानुसार प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 21/वि0 स0–06–28/2016–65(21) राँची, दिनांक: 02-03-16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1377/वि0स0 दिनांक 22.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.16

सरकार के विशेष सचिव

134

श्री आलमगीर आलम, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 04.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में पहली बार दन्त चिकित्सकों के नियुक्ति के लिए आवेदन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया है, जिसकी अंतिम तिथि 29.02.2016 है ;	अस्वीकारात्मक। आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.03.2016 तक विस्तारित कर दी गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में दन्त चिकित्सकों के नियुक्ति में उम्र सीमा की छुट किसी वर्ग के अभ्यर्थी को नहीं दी गयी है, जबकि बिहार में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी वर्ग के अभ्यर्थी के लिए समान रूप से 16 वर्ष की छुट दी गयी है ;	स्वीकारात्मक। दन्त चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 2063 दिनांक 28.04.2006 के अनुरूप है। बिहार सरकार द्वारा दी गयी छूट की जानकारी नहीं है।
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक, तो क्या सरकार आवेदन के लिए अंतिम तिथि 31.03.2016 तक राज्य में दन्त चिकित्सक की नियुक्ति में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी वर्ग के अभ्यर्थी के लिए समान रूप से 16 वर्ष की छुट देने की विचार रखती है, यदि, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0 स0–03–16/2016 226(3) राँची, दिनांक: 02/03/2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1645/वि0स0 दिनांक 26.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2016
सरकार के उप सचिव

135

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 04.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–28 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पारा मेडिकल झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता पर्षद द्वारा वर्ष 2006 में परिधापकों (ड्रेसर) का प्रशिक्षण कराया गया था ;	अस्वीकारात्मक। JCECE Board को सरकार द्वारा ड्रेसर के नाम के लिए अधियाचना भेजा जाता है। Board selection के पश्चात सदर अस्पताल में इनका एक साल का प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के पश्चात पारा मेडिकल काउंसिल Examination लेकर इन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करते है।
2.	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग में परिधापकों (ड्रेसर) की घोर कमी है तथा प्रशिक्षण प्राप्त परिधापक बेरोजगार बैठे हुए है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार परिधापकों (ड्रेसर) की नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	परिधापक की नियमावली गठन का कार्य प्रक्रियाधीन है। नियमावली गठित होते ही परिधापक (ड्रेसर) की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 21 / वि0 स0–06–30 / 2016 –63(21) राँची, दिनांक: 02-03-16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1680 / वि0स0 दिनांक 27.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.16

सरकार के विशेष सचिव